निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 866) पटना, बुधवार, 20 सितम्बर 2017

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
20 सितम्बर 2017

सं० 8/विविध-10-74/2017-7655/गृ0आ0— भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं धारा-97 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने के लिए बिहार पुलिस चालक संवर्ग की भर्ती एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।—(1) यह नियमावली बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 कही जायेगी ।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषा ।— इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''पर्षद'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती);

(ख) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है पुलिस महानिदेशक, बिहार;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/ समकक्ष स्तर के पदाधिकारी;

(घ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस चालक संवर्ग ।

3. संवर्ग का गठन ।—इस संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे –

(i) पुलिस निरीक्षक (परिवहन);

(ii) पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन);

(iii) सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन);

(iv) चालक हवलदार;

(v) चालक सिपाही ।

4. संवर्ग बल ।— संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद समाप्ति के फलस्वरूप संवर्ग बल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा ।

इस संवर्ग के कर्मी वर्दी पहनेंगे, लेकिन सामान्य पुलिस संवर्ग में इनका समायोजन नहीं होगा । नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन), चालक हवलदार एवं चालक सिपाही इस संवर्ग के सदस्य समझे जाएंगे। इस संवर्ग में नियुक्ति का मूल पद केवल चालक सिपाही होगा । चालक सिपाही, चालक हवलदार के अतिरिक्त सहायक अवर निरीक्षक (परिवहन) भी वाहन चालन का कार्य करेंगे ।

5. संवर्ग में भर्ती/अर्हता ।—(1) जुलाई में, पुलिस महानिदेशक, बिहार सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले चालक सिपाही के पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे ।

(2) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा पृथक/ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु, सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के साथ, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जा सकेगा । केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यपेक्षा भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी । पर्षद प्रश्न पत्रों का चयन, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति करेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची भेजेगा ।

(3) पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार पर्षद रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाईट (website) के माध्यम से विज्ञापित कराएगा । अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना होगा । अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस, जो पर्षद द्वारा नियत किया जाय, लिया जायेगा । अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में, पर्षद द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार पर्षद के वेबसाईट (website) पर ऑनलाईन (online) समर्पित करेंगे । संयुक्त परीक्षा की स्थिति में अवधारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदों के चयन हेतु अपना प्राथमिकता बताना होगा ।

(4) पर्षद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा । लिखित परीक्षा का पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा । लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा । इस पत्र में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे । उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 5 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेंगी परन्तु यदि परीक्षा से संबद्ध कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ वाद के निष्पादन तक सुरक्षित रखी जाएँगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में पर्षद उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा ।

(5) प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अपेक्षित शारीरिक दक्षता परीक्षा पर्षद द्वारा स्वयं ली जाएगी, जिसमें मात्र उत्त्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित माप एवं अन्य जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित पारदर्शी प्रक्रिया तथा आधुनिक तकनीकों पर आधारित कम्प्यूटरीकृत पद्धतियाँ अपनाई जाएगी । पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पर्षद प्रत्येक दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अथवा असफल होने की सूचना सभी अभ्यर्थियों को देगा और असफल अभ्यर्थियों से शारीरिक माप एवं जॉच निर्दशन पत्र (Master Chart) पर हस्ताक्षर की अपेक्षा करेगा । यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह परीक्षा की तिथि से 03 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष

दर्ज करा सकेगा । पर्षद, आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए, मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा ।

(6) शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को इस नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(7) पर्षद से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जाएगी ।

6. अर्हता की जाँच ।—

(1) शारीरिक दक्षता जाँच ।- इसमें निम्न लिखित होंगी। ये अर्हक प्रकृति की होंगी और इन जाँचों में कोई अंक नहीं दिये जायेंगे :-

(क) दौड़ - उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है :-

दौड़ -	**निर्धारित अर्हता**
सभी कोटि के पुरूषों के लिए-	1 मील (1.6 कि0मी0) [अधिकतम 7 मिनट में]
सभी कोटि की महिलाओं के लिए-	1 कि0मी0 [अधिकतम 7 मिनट में]

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा।।

(ख) ऊँचाई एवं सीना।- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की पात्रता प्राप्त होना आवश्यक होगी :-

कोटि	**ऊँचाई**	**सीना**	
	न्यूनतम	**न्यूनतम बिना फुलाऍं**	**न्यूनतम फुलाकर**
अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	165 से0मी0	81 से0मी0	86 सें0मी0
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए	162 से0मी0	79 से0मी0	84 सें0मी0
भारतीय मूल के गोरखा को सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस–1 (गोरखा बटालियन) में	160 से0मी0	79 से0मी0	84 सें0मी0
महिला उम्मीदवारों के लिए	153 से0मी0	लागू नही	लागू नहीं

महिला उम्मीदवारों की सीना की मापी नहीं किया जायेगा । फुलाने के बाद ली गई मापी में न्यूनतम 05 सें0मी0 का विस्तार होना आवश्यक है ।

(ग) उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में निम्नलिखित जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं :-

कोटि	**जाँच/कार्यक्रम**	**विनिश्चित पात्रता**
पुरूष उम्मीदवारों के लिए	ऊँची कूद	न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट 6 इंच।
	लंबी कूद	न्यूनतम 10 (दस) फीट ।
	गोला फेंक(16 पौंड)	न्यूनतम 14 फीट।
कोटि	जाँच/कार्यक्रम	विनिश्चित पात्रता
महिला उम्मीदवारों के लिए	ऊँची कूद	न्यूनतम ऊँचाई 2 फीट 6 इंच।
	लंबी कूद	न्यूनतम 07 (सात) फीट ।
	गोला फेंक(12 पौंड)	न्यूनतम 08 फीट।

प्रत्येक जाँच/कार्यक्रम के लिए तीन मौका प्रदान किया जायेगा ।

(घ) महिला उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 48 कि0ग्रा0 होना आवश्यक है ।

उपर्युक्त चारों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिए जाएँगे ।

(2) मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच ।- अवधारित शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा । इस दक्षता जाँच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा । उम्मीदवारों के प्रदर्शन (performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे :-

(i) परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गए चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रूख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा।

(नोटः- यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।)

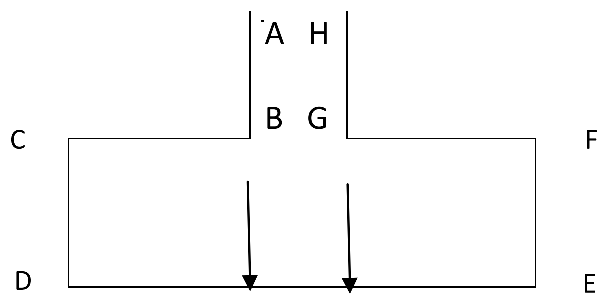

A से H = B से G = 8 फीट 6 इंच

B से C = F से G = 11 फीट 3 इंच

C से D = E से F = 25 फीट 6इंच

D से E = C से F = 31 फीट

A से B = H से G = 21 फीट

(ii) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा-

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक-20 (बीस) होंगे, जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	12
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	08

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक-20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	12
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	08

(ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जाएगा) के लिए अधिकतम अंक-20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगेः-

सभी गियर बदलकर, बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर	08 अंक
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	04 अंक
गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना	08 अंक

(iii) उम्मीदवारों के वाहन चालन की ज्ञान की जॉच हेतु, चयन पर्षद द्वारा गठित समिति द्वारा, मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्नों की सूची में से उम्मीदवारों से 20 प्रश्न मौखिक पूछे जायेंगे जिसके लिए अधिकतम अंक 20 दिये जा सकेंगे।

(iv) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पुर्जे, रख-रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के संबंध में उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जाएगी। इसके लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक विनिश्चित किए जा सकेंगे ।

उपर्युक्त कंडिका- (ii) (क), (ii) (ख), (ii) (ग), (iii) एवं (iv) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 6 अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित किया जायेगा ।

7. मेधा सूची का निर्माण ।— (1) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी ।

(2) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए बताये गये प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग तैयार की जायेगी।

(3) मोटर वाहन के चालन संबंधी दक्षता की परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेघा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाए तो उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(4) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 35%, तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा ।

(5) पर्षद न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा ।

(6) अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरोध पर, पर्षद द्वारा पूरक अनुशंसा सूचियाँ 06 माह तक निर्गत की जायेगी । 06 माह की अवधि की गणना मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से किया जायेंगा।

8. चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन ।— (1) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0-103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0-101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा । प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे ।

(2) बिहार पुलिस हस्तक, नियम 658 (iv) में किए गए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो ।

टिप्पणी–1. नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा । दृष्टि दोष, कलर ब्लाईन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जॉच चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी । नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी–2. हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

9. शैक्षणिक योग्यता ।— (1) चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) पास या समकक्ष अनिवार्य होगी ।

(2) अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन (LMV)/ भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होगा ।

10. उम्र ।—अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निम्न प्रकार होगीः-

(क) सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष;

(ख) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

(ग) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरूषों एंव महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

11. आरक्षण ।—चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

12. प्रशिक्षण ।—(1) चालक सिपाही का बुनियादी प्रशिक्षण 180 कार्यदिवसों का होगा । प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा, पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से, अवधारित किया जाएगा जिसमें तकनीकी एवं यांत्रिक प्रशिक्षण का समावेश होगा ।

(2) सहायक अवर निरीक्षक (परिवहन) से अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण 100 कार्यदिवसों का होगा इस प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से निर्धारित किया जाएगा ।

13. परीवीक्षा अवधि एवं सम्पुष्टि ।—(1) नवनियुक्त चालक सिपाही नियुक्ति की तिथि से परीवीक्षा पर होंगे। परीवीक्षा अवधि तीन वर्षों की होगी, जिसे, सेवा तथा कार्य-कलाप असंतोषजनक पाए जाने पर, एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकेगा । सेवाकाल में इस प्रकार का विस्तार अधिकतम एक बार दिया जा सकेगा । विस्तारित अवधि के पश्चात् भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर, परीवीक्षा पर नियुक्त चालक सिपाही को सेवामुक्त कर दिया जाएगा ।

(2) चालक सिपाही को परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

14. वरीयता ।—चालक सिपाहियों की आपसी राज्य वरीयता पर्षद द्वारा संचालित मोटर वाहन चालन सम्बंधी दक्षता जाँच में प्राप्त अंकों एवं बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार निर्धारित की जाएगी किंतु इस नियमावली के प्रभाव में आने से पूर्व, जो कर्मी चालक पहले से सेवा में हैं, उनकी आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी और वे इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जाएँगे।

15. प्रोन्नति ।—(1) इस सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी-

(क) चालक सिपाही से चालक हवलदार के पद पर ।

(ख) चालक हवलदार से सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर ।

(ग) सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) से पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर।

(घ) पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) से पुलिस निरीक्षक (परिवहन) के पद पर ।

(2) प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता मापदंड के अनुसार देय होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी । प्रोन्नति हेतु यथाउपयुक्त योग्यता मापदंड में गोपनीय चरित्र अभियुक्ति, परफौरमेन्स रिपोर्ट, वांछित प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा आदि सम्मिलित होगा ।

16. कालावधि ।—चालक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु कालावधि निम्न प्रकार होगी:-

(क) चालक हवलदार की पंक्ति में केवल उन्हीं चालक सिपाहियों की प्रोन्नति होगी, जिनकी 06 वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो गई हो।

(ख) सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) की पंक्ति में केवल उन्हीं चालक हवलदारों की प्रोन्नति होगी, जिनकी 15 वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो गई हो।

(ग) पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) की पंक्ति में केवल उन्हीं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) की प्रोन्नति होगी, जिन्होंने वाहन के चालन, रख-रखाव, तकनीकी कुशलता एवं यातायात के अद्यतन नियम आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और जिनकी 22 वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो गई हो ।

(घ) पुलिस निरीक्षक (परिवहन) की पंक्ति में उन्हीं पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) की प्रोन्नति होगी जिनकी सेवावधि 30 वर्ष पूर्ण हो गई हो ।

(ड.) राज्य सरकार/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित वेतनमान आधारित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

17. अवशिष्ट मामले ।—इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से अनाच्छादित मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/संकल्प/हस्तक के संबंधित प्रावधानों, जो राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए लागू हों, द्वारा शासित होंगे।

18. निर्वचन ।—इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार द्वारा की गयी निर्वचन, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगी ।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति ।—चालक सिपाही के पद पर चयन हेतु परीक्षा एवं नियुक्ति/पदस्थापन के बिन्दु पर बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में निहित सुसंगत नियमो के प्रावधान एवं परिशिष्ट-88 एवं तत्ससंबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/अधिसूचना/निदेश निरसित किया जाता है ।

ऐसे निरसन के होते हुए, इस संबंध में पूर्व में लिये गये निर्णय एवं निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश एवं उक्त के आलोक में की गई कार्रवाई वर्तमान नियमावली के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, जैसे कि उक्त तिथि में यह नियमावली लागू हो ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

The 20th September 2017

No-8/mis.-10-74/2017-7655/ H.P.—In exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 97 of Bihar Police Act, 2007, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of Bihar Police Driver Cadre :–

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) The Rules shall be called "Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017".

(2) It shall extend to whole state of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. ***Definition*.–** *In the Rules, unless the context otherwise requires-*

(a) "Board" means The Central Selection Board (Constable Recruitment);

(b) "Cadre Controlling Authority" means The Director General of Police, Bihar;

(c) "Appointing Authority" means Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police/Commandant/Officers of equivalent rank.

(d) "Cadre" means Bihar Police Driver Cadre.

3. ***Constitution of Cadre.-*** *The following posts shall be in this Cadre :-*

(i) Inspector of Police (Transport);
(ii) Sub-Inspector of Police (Transport);
(iii) Assistant Sub Inspector of Police (Transport);
(iv) Havildar Driver;
(v) Driver Constable.

4. **Strength of Cadre.-** The strength of this cadre shall be according to the present strength, but, the cadre-strength shall be deem to be revised due to creation or abolition of posts by the State Government as per requirement from time to time accordingly.

All the personnel of this cadre will wear uniform, but they will not be absorbed in general police cadres. All the personnel of Reserve Sub-Inspector (Transport), Havildar Driver and Driver Constable already working before come in to force of these Rules shall automatically be deemed to be the member of this cadre. The basic post of appointment in this cadre shall only be the post of Driver Constable. Apart from Driver Constables and Havildar Drivers, Assistant Sub Inspector of Police (Transport) will also perform the work of motor driving.

5. **Recruitment eligibility in the cadre**.-

(1) In July, the Director General of Police, Bihar will get calculated the number of reservation category-wise vacant posts of Driver Constables to be filled up by direct recruitment.

(2) The selection of candidates for the appointment to the posts of Driver Constables to be filled up by direct recruitment shall be made by the Central Selection Board (Constable Recruitment) through separate/ Combined Competitive Examination. For the appointment to post of Driver Constables Combined Examination may be held jointly with the examination to be held for the appointment of Constables. A requisition shall be sent to the Central Selection Board (Constable Recruitment) in the prescribed proforma, in which information regarding number of vacant posts and category-wise reservation will also be mentioned. The Central Selection Board (Constable Recruitment) shall set question papers, conduct examinations, appoint examiners to examine the answer-sheets and conduct physical eligibility test and eligibility test of motor vehicle driving and shall send the recommended list of successful candidates.

(3) The Board shall advertise the number of vacancies in widely circulated news papers and through website as per requisition received from the Director General of Police, Bihar. The candidates shall abide by the directions and conditions given in the advertisements. Examination fees shall be charged from the candidates, which may be fixed by the Board. The candidates shall submit their application forms in the prescribed proforma online through the website as per the terms and conditions published by the Board in the advertisement. In case of Combined Examination candidates fulfilling the determined

qualifications will have to give their preference for the selection of posts.

(4) The Board shall hold Written Competitive Examination for all the candidates in the first stage. The paper of written examination shall be based on multiple choice questions. There will be one paper of 100 questions of 100 marks and the examination period shall be of two hours. One mark will be given for each correct answer. Candidates securing less than 30 marks in this paper shall be declared unseccessful to appear for physical eligibility test. In the said paper, questions related to the General Knowledge and Current issues will asked. 05 times successful candidates to existing vacancies shall be selected reservation category-wise, on the basis of marks obtained in the written examination. Answer-sheets shall be in two copies, in which one copy shall be kept as reserve in the Board for one year after declaration of result but if any case is under consideration in the court related to answer sheet of the examination will be kept as reserve till the disposal of the case. In case of unavailability of sufficient number of eligible candidates for the physical eligibility test, the Board may reduce the above mentioned proportion suitably.

(5) Required Physical Eligibility Tests of the selected candidates on the basis of written exam held in First Phase will taken itself by the Board in which it will be compulsory to qualify only. Determined measurements and other required tests in Physical Eligibility Tests, transparent procedure based on electronic and computerized methods based on modern technology will be adopted. Videography of the entire procedure will also be made. The Board shall inform all the candidates regarding their success and failure provisionally in PET everyday and the unsuccessful candidates shall require to put their signatures on the Master-Chart. Any candidate, dissatisfied with the result of PET, shall place his objections before the Board within 03 days. The Board shall, after hearing the representations related to the objections, dispose of the same on the date of receipt of the objections.

(6) The successful candidates in the physical eligibility test shall be given an opportunity to appear in the eligibility test of motor driving as, per the provisions prescribed in this Rules.

(7) Appointment to the post of Driver Constable will be made by Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police/Commandant/Officers of equivalent rank on the basis of list of recommendation received from the Board.

6. **Test of Qualification .-**

(1) **Physical Efficiency Test .-** Following tests will be in it. These will be of qualifying nature and no marks will be given in these tests.

(a). **Run –** The prescribed eligibility for the candidates is as follows :-

Run -	Prescribed Eligibility
For males of all Category	One mile (1.6 K.M.) Maximum in seven minutes.
For females of all Category	One K.M. Maximum in seven minutes.

The candidates taking more than determined time, shall be declared unsuccessful.

(b) **Height and Chest -** It will compulsory for the candidates to have the following minimum height and chest eligibility :-

Category	Height	Chest	
	Minimum	Minimum Without expansion	Minimum With expansion
For male candidates of unreserved, Backward class and Extremely Backward class	165 cm	81 cm	86 cm
For male candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes	162 cm	79 cm	84 cm
For Gorkha of Indian race, only in BMP 1 (Gorkha Battalion)	160 cm	79 cm	84 cm
For female candidates	153 cm	Not Applicable	Not Applicable

Chest of female candidates will not be measured. Minimum difference in the measurement after expansion of chest must be 5 cm.

(c)The candidates must pass the following tests in Physical Eligibility Test –

Category	Test/Programme	Determined Eligibility
For male candidates	High Jump	Minimum 3 feet 6 inch
	Long Jump	Minimum 10(ten) feet
	Shot Put throw (16 lbs)	Minimum 14 feet

Category	Test/Programme	Determined Eligibility
For female candidates	High Jump	Minimum 2 feet 6 inch
	Long Jump	Minimum 7 feet
	Shot Put throw (12 lbs)	Minimum 8 feet

For every test/programme , only three chances shall be given.

(d) Minimum 48 Kg weight of female candidates is essential.

Candidates not fulfilling the minimum determined criterion in above mentioned events e.g. High Jump, Long Jump and Shot Put throw shall be declared unsuccessful.

(2) ***Eligibility test of motor driving .***—The successful candidates in determined physical eligibility test shall be given an opportunity to appear in the eligibility test of motor driving. Maximum marks determined of this test will be 100. On the basis of performances of the candidates marks will be given to them in following manners :-

(i) There will be a testing track for the test as per the drawing given below in which small vehicle (Jeep and Car) will have to be entered through the route AH and BG in reverse gear and after changing the direction of the vehicle in rectangular track vehicle has to be taken out through the BG and AH in reverse gear.

(Note :- Candidate shall be declared unfit if any part of the vehicle touches the pole or boundary of the tack.)

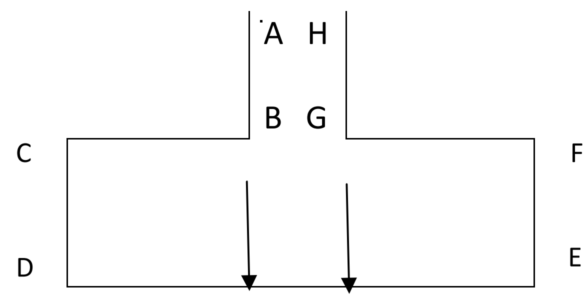

A to H = B to G = 8 feet 6 inch

B to C = F to G = 11 feet 3 inch

C to D = E to F = 25 feet 6 inch

D to E = C to F = 31 feet

A to B = H to G = 21 feet

(ii) Marks will be determined for driving Jeep and Car in the above testing track in the following manner :-

(a) Maximum 20 marks will be for test of efficiency of Jeep driving, which will be given in following manner :-

Time	Gear Change	Marks
Up to 1 minute	3 gear	20
Up to 1 minute	5 gear	16
More than 1 minute but up to 2 minute	5 gear	12
More than 2 minute but up to 3 minute	5 gear	08

(b) Maximum 20 marks will be for test of efficiency of Car driving, which will be given in following manner :-

Time	Gear Change	Marks
Up to 1 minute	3 gear	20
Up to 1 minute	5 gear	16
More than 1 minute but up to 2 minute	5 gear	12
More than 2 minute but up to 3 minute	5 gear	08

(c) Maximum marks will be 20 (twenty) for test of efficiency of Bus/Truck driving (to be held in open field), which will be given in following manner :-

On driving the vehicle changing all the gears without sound–08 Marks.
Making shape of 8 by driving vehicle forward - 04 Marks.
Making shape of 8 by driving vehicle in reverse gear- 08 Marks.

(iii) For test of Knowledge of motor vehicle of candidates, from the list of questions prepared by the committee of the board, related to traffic signs and signals under the Motor Vehicle Acts and other relevant rules, 20 questions will be asked for which maximum 20 marks may be given.

(iv) Viva-voce test of the successful candidates relating to General Knowledge of the make and maintenance of different vehicles, their parts and lubricating etc. and mechanical and technical defects expected in the vehicles will be made for which total 20 (twenty) marks may be determined.

Candidates who do not get minimum 06 marks in tests mentioned in (ii)(a), (ii)(b), (ii)(c), (iii) and (iv) shall be declared unfit.

7. ***Preparation of merit list.—***

(1) Reservation category-wise merit list of successful candidates in all tests will be prepared according to vacancies on the basis of marks obtained in efficiency test of motor driving.

(2) In case of holding the Combined Competitive Examination separate merit list of successful candidates for the posts will be prepared on the basis of preference indicated by the candidates.

(3) If two or more than two candidates secure equal marks in the efficiency test relating to motor driving, their places in the merit list shall be determined on the basis of their date of birth. This is to say that candidate senior in age shall remain above in order of merit. In case of similar date of birth of two or more than two candidates, their Place shall be determined on the basis of their educational qualifications. It means the candidate having higher educational qualifications, shall remain above in order of merit. After that also, if more than one candidate are on same footage their inter-se ranks shall be determined on the basis of marks obtained in the qualifying examination. It means candidates having more marks will remain above in merit order. After that if the seniority of candidates is not determined even after above provisions it will be determined on the basis of English alphabet of their names as mentioned in their certificate of Tenth Board.

(4) The minimum qualifying marks for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be 33.5%, for the candidates of Backward class and Extremely Backward class 35% and for the candidates of General category 40% for the final merit list.

(5) Board shall prepare a list of candidates on the basis of the merit in descending order and shall recommend the names the candidates reservation category-wise in descending order of the marks according to the requisition received from the Director General of Police.

(6) Board shall publish Supplementary lists will be published up to 06 months on the request of Director General of Police, Bihar to appoint to the vacant posts under the advertisement occurring due to non-joining of candidates. 06 months period will be counted from the date of publication of merit list.

8. ***Medical Test, character and antecedent verification.—***

(1) Before the appointment to the post of Driver Constable, the Appointing Authority will get Medical Test as per form no-103 of the successful candidates, and their character and antecedent's verification as per the form no-101 of the Bihar Police Manual 1978 will made by the Appointing Authority. On adverse report or/and in case of concealment of facts by the candidates, concerned candidates shall be declared unfit for appointment.

(2) According to the provisions made in the Bihar Police Manual Rule 658 (iv), candidates must be free from disease, constitutional affliction or physical infirmity due to which he is or may be unfit for duty.

Note-1:—All the selected candidates will get to be medically test before the appointment. Eye sight, colour blindness, hearing power, stammering, flat-foot and knocking knee etc. will also be test in the medical test. It will be compulsory to be found the selected candidates medically fit for the appointment.

Note-2:—Due to defect like Stuttering and stammering the candidate will not be eligible for selection.

9. ***Educational qualification***.—

(1) The minimum educational qualification for the recruitment to the basic post of Driver Constable shall be intermediate (10+2) Pass or equivalent.

(2) It will be compulsory for the candidate to holder of license of Light Motor Vehicle (LMV)/ Heavy Motor Vehicle (HMV) issued by a competent authority minimum one year before the date of issue of the advertisement.

10. Age.- The age-limit of the candidates will be as follows :-

(a) For candidates of General Category minimum 18 years and maximum 25 years;

(b) For male candidates of Backward Class Category and Extremely Backward Class Category, minimum 18 years and maximum 27 years;

(c) For female candidates of Backward Class Category and Extremely Backward Class Category, minimum 18 years and maximum 28 years;

(d) For male or female candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes categories, minimum 18 years and maximum 30 years

11. ***Reservation***.– Reservation provision as directed by the State Government, from time to time will be applicable to the appointment and promotion to the posts of Driver Constable.

12. ***Training***.-

(1) The basic training of Driver Constable shall be of 180 working days. The syllabus of the training shall be determined by D.G. (Training), with the approval of D.G.P., Bihar which will include technical and mechanical training.

(2) For the promotion from Assistant Sub-Inspector (Transport) to Sub-Inspector (Transport), training shall be of 100 working days. The syllabus for this training shall be determined by D.G. (Training), with the approval of D.G.P., Bihar.

13. ***Probation period and Confirmation.***-

(1) The newly recruited Driver Constables shall be on probation with effect from the date of appointment. The period of probation shall be of three years, which may be extended for one year on being found service and performance unsatisfactory. This kind of extension may be made maximum once in the service. In case of unsatisfactory service even after the extended period Driver Constable appointed on probation will be terminated from the service.

(2) On the basis of successful completion of the probation period and passing of the Departmental Examination, the Driver Constable may be confirmed in the service.

14. ***Seniority***.– The State inter-se seniority of the Driver Constables shall be determined according to the total marks obtained in eligibility test of motor driving efficiency test conducted by the Board and marks obtained in exams of basic training but before coming into force of these Rules, those personnels who are already in service, their inter-se seniority shall remain ……affected and they shall be deemed to be included automatically in this cadre.

15. ***Promotion.–*** (1) The promotional chain of the confirmed employees in this cadre shall be as per the following :-

(a) Driver Constable to Havildar Driver;

(b) Havildar Driver to Assistant Sub-Inspector(Transport);

(c) From Assistant Sub-Inspector(Transport) to the post of Sub-Inspector (Transport);

(d) From Sub-Inspector(Transport) to the post of Inspector(Transport);

(2) The promotion shall be admissible on the basis of seniority cum eligibility criterion which shall be considered as per recommendation of the Departmental Promotion Committee. Secret Character Remark, Performance Report, required Trainings, Departmental Examinations will be included in the suitable eligibility criterion.

16. ***Kalawadhi . -*** *The kalawadhi for promotion in Driver cadre will be as follows:-*

(a) Only those Driver Constables will be promoted to the rank of Havildar Driver whose service period of six years is completed.

(b) Only those Havildar Driver will be promoted to the rank of Assistant Sub-Inspector of Police (Transport) whose service period of 15 years is completed.

(c) Only those Assistant Sub-Inspector of Police (Transport) will be promoted to the rank of Sub-Inspector of Police (Transport) who have acquired

training of driving of vehicle, maintenance, technical skill and latest rules of traffic etc. and whose service period of 22 years is completed.

(d) Only those Sub-Inspector of Police (Transport) will be promoted to the rank of Inspector of Police (Transport) whose Service Period of 30 years is completed.

(e) The promotion may be considered on completion of scale-based Kalawadhi determined by the State Government/ General Administrative Department, from time to time.

17. ***Residual Matters***.- Any matter, not covered by the Rules or Order/Orders issued there under shall be governed by the provisions of the Bihar Service Code/Rules /Resolutions/Manual(s) which applicable to the equivalent Posts in the State Government.

18. ***Explanation*** .– If any doubt arises regarding any provision of the Rules, the interpretation made by the Home Department (Police Branch) related there to after consultation with the Law Department, shall be final.

19. ***Repeal and Savings***.-

(1) The provisions laid down in relevant Rules and Appendix-88 of Bihar Police Manual, 1978 regarding examination for recruitment and appointment/ posting of the Driver Constables, the orders/circulars /notification/instructions issued earlier in this regard are hereby repealed.

(2) Not with standing such repeal, above Rules being framed, the decisions taken earlier and the resolution/Rules/orders issued earlier and the actions taken in the light of the same, shall be deemed to be done under the Rules or done under the power conferred under the Rules, as if the Rules were in force on such date on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)866-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in